महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

फोन नं– 0151–2212046, ईमेल एड्रेस– comptroller@mgsubikaner.ac.in

निविदा प्रपत्र

कार्य का नाम – खेलकूद सामग्री क्रय बाबत दर संविदा।

निविदा शुल्क	200/– रू.	निविदा फार्म एवं धरोहर राशि व निविदा शुल्क जमा करने की अवधि	.... मध्यान्ह 01:00 बजे तक
अनुमानित लागत	6,00,000/– रू.	निविदा खोलने की तिथि	.... मध्यान्ह 03:00 बजे
धरोहर राशि	12,000/– रू.		

1- ....(वस्तुओं का नाम जिनके लिये निविदा प्रस्तुत की गई है) के लिये निविदा।
2- निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता..
....
....
3- निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का पंजीकरण संख्या..(फोटो प्रति संलग्न करे)
4- किनको सम्बोधित किया गया...
5- संदर्भ...
....
6- निविदा शुल्क की राषि ....नकद रसीद.. ....एवं दिनांक..................
द्वारा रेखांकित पोस्टल ऑर्डर/ड्राफ्ट संख्या...के द्वारा जमा करा दी गई हैं।
7- हम..द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या ....दिनांक ....में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठों पर इनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।)
8- निम्नलिखित मदों की आपूर्ति के लिये दरें निम्न प्रकार होगी तथा प्रदाय की जाने वाली सामग्री मात्रा उनमें प्रत्येक के सामने अंकित की गई है।

क्र. सं.	वस्तु का नाम मय विशेष विवरण	दर (रूपये)	कीमत (उत्पादक शुल्क, कार्टिज पैकिंग आदि शामिल करते हुए) केन्द्रिय बिक्री कर, राजस्थान बिक्री कर, चूंगी कर यदि कोई हो इसमें से डिस्काउन्ट, छूट (रिबेट) को घटा शुद्ध मूल्य
संलग्न सूची के अनुसार			

नोटः– निविदा मे संलग्न सूची के अनुसार फर्म को टी–शर्ट, नेकर एवं सोक्स के नमूने प्रस्तुत करने होगे। बिना नमूने के निविदा स्वीकार्य नहीं होगी। सूची मे दिए ब्रांड/ किस्म/मार्का के सामने दर अंकित करनी होंगी। तदनानुसार परिपत्र में दर अंकित करनी होगी।

9- फर्म को आदेष प्राप्त करने के दिनांक से...................की अवधि भीतर माल की सुपुर्दगी कर दी जायेगी।
10- ऊपर उद्धत की गई दरें एक वर्ष तक के लिये विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकेगा।
11- बैंक ड्राफ्ट संख्या........................जो ....(बैंक का नाम) पर आहरित किया गया है। नकद रसीद संख्या ..../चालान संख्या..............................दिनांक ....रूपये................ ....के लिये बनाया राषि के पेटे संलग्न किया जाता है।
12- निविदा प्रपत्र के साथ सभी प्रकार के नमूने संलग्न है।
13- पूर्व में किये गये विष्वविद्यालय/विष्वविद्यालयों में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है। (यदि हो तो प्राथमिकता दी जायेगी)
14- निविदा प्रपत्र के साथ विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र संलग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

भाग (अ)
समस्त खेलों की गणवेश (टी–शर्ट, नेकर एवं सोक्स) की दरें

क्र. सं.	खेल का नाम	ब्रान्ड/किस्म/मार्का (उत्तम क्वालिटी)	दर प्रति सैट (टी-शर्ट, नेकर एवं सोक्स) समस्त कर, वेट एवं छपाई सहित
1	Archery	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
2	Athletics	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
3	Badminton	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
4	Ball Badminton	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
5	BaseBall	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
6	Basket Ball	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
7	Boxing	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
8	Chess	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
9	Cricket	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
10	Cross Country	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
11	Cycling	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
12	Football	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
13	Gymnastic	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
14	Handball	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
15	Hockey	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
16	Judo	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

17	Kabaddi	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
18	Kho-Kho	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
19	Net Ball	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
20	Pistol Shooting & .177 Air Rifle Peep Sight	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
21	SoftBall	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
22	Swimming	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
23	T.T.	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
24	Tennis	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
25	VolleyBall	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
26	Wrestling	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
27	Weight, Power Lifting, & Best Physique	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
28	Wushu	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

भाग (ब)
ट्रेकसूट की दरें

ब्रान्ड/किस्म/मार्का (उत्तम क्वालिटी)	दर प्रति ट्रेकसूट समस्त कर, वेट एवं छपाई सहित	कपड़े का विवरण **(Polly or Super-Polly)**
Shiv Naresh		
Victa / Alpro		
अन्य समकक्ष ब्रांड		

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

खेलकूद निविदा की विषेष शर्तें :–

1. **दर का अनुमोदन किस्म एंव गुणवत्ता के आधार पर किया जावेगा।**
2. भाग–(अ) मे खेल के अनुसार अलग–अलग दरें निर्धारित प्रारूप अनुसार अंकित करनी होगी। अलग से अंकित दर स्वीकार्य नहीं होगीं एवं बिना दरों के निविदा स्वीकार्य नही होगी।
3. निविदा के साथ फर्म को प्रत्येक खेल एवं ट्रेकसूट हेतु नमूने एवं ब्राण्ड प्रस्तुत करने होंगे। बिना नमूने के निविदा स्वीकार्य नही होगी।
4. निविदा दाता को खेल गणवेश/मार्का एवं दर संलग्न निर्धारित प्रारूप मे ही अंकित करने होगे, अलग से दरें स्वीकार्य नहीं होंगे।
5. सामग्री की आपूर्ति फर्म द्वारा प्रस्तुत नमूनों के विश्वविद्यालय क्रय समिति द्वारा अनुमोदन उपरान्त ली जायेगी। सामग्री की आपूर्ति आदेश जारी होने के 02 दिवस में करनी होगी। परिवहन शुल्क अलग से देय नहीं होगा।
6. ट्रेकसूट एवं टी–शर्ट के फर्न्ट मे उपर के भाग पर विश्वविद्यालय का लोगो एवं ट्रेकसूट मे पीठ पर विश्वविद्यालय का नाम अर्द्ध चन्द्राकार आकार मे जिसका साईज 12"X12" हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में केमीकल कलर से अंकित करना होगा। टी–शर्ट पर खेल अनुसार Numbering अंकित करनी होगी। जिसका मूल्य अलग से स्वीकार्य नही होगा।
7. उक्त वार्षिक दर संविदा अनुमोदन तिथि से एक वर्ष तक के लिये मान्य होगी जिसे आपसी सहमति से नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है।
8. विशेष परिस्थतियों में आपूर्ति अवधी पूर्ण होने से पूर्व फर्म द्वारा आवेदन करने पर विश्वविद्यालय द्वारा अवधी बढायी/मनाही की जा सकती हैं।
9. आपूर्ति अवधि में विलम्ब के लिए जी एफ एण्ड ए आर के अन्तर्गत शास्ती आरोपित की जा सकेगी।
10. ट्रेकसूट मे लगे कपड़े (Polly or Super-Polly) का विवरण उक्त सारणी के भाग (ब) मे अंकित करना होगा।

खुली निविदा की सामान्य शर्तें :–

टिप्पणी: निविदादाताओं को चाहिए कि वे इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ लें और अपनी निविदाएं भेजते समय इन का कठोरता से पालन करें।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार समुचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बंद किया जाना आवश्यक है।
2. **वास्तविक डीलरों द्वारा निविदाएं –** निविदाएं केवल माल के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जानी चाहिए। अतः वे प्रारूप एस.आर.–11 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
3. (अ) फर्म के गठन आदि में हुए किसी परिवर्तन की सूचना ठेकेदार द्वारा तुरन्त क्रय अधिकारी को दी जाएगी और ऐसा परिवर्तन फर्म आदि के पुनर्वती सदस्य के ठेके के अधीन के दायित्व से मुक्त नहीं रहेगा।
   (ब) ठेकेदार द्वारा ठेके के संबंध में फर्म में तब तक कोई नया/नए भागीदार स्वीकार नहीं किया जाएगा/किए जायेंगे। जब तक कि वह/वे समस्त नियमों और शर्तों का पालन करने हेतु सहमत न हो और क्रय अधिकारी के समक्ष इस आशय का एक लिखित करार जमा न करा दें अभिस्वीकृति हेतु ठेकेदार की रसीद को या किसी भागीदार की रसीद को बाद में उपर्युक्तानुसार स्वीकृत किया जाएगा और उससे वे सभी आबद्ध होंगे और वह संविदा के किसी प्रयोजन हेतु पर्याप्त उन्मोचन होगा।
4. **बिक्री कर रजिस्ट्रीकरण** – कोई भी डीलर जो उस राज्य में जहां उसका कारोबार स्थित है, प्रचलित बिक्री कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्याक वर्णित करना होगा। प्रति संलग्न करनी होगी।
5. निविदा प्रारूप स्याही से भरे जाएंगे तथा टंकित होंगे। पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर और अंत में निविदा के समस्त निबंधनों और शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेगा।
6. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। गलतियों तथा लिप्त लेखन नहीं होना चाहिए यदि कोई संशोधन हो तो उन्हें स्पष्ट रूप से किया जाए एंव उन पर दिनांक सहित हस्ताक्षर किए जाये। दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर के घटक पृथक से वर्णित किए जाने चाहिए।
7. वर्णित की गई समस्त दरों पर रेल परिवहन निःशुल्क होनी चाहिए और उसमें चुंगी, केन्द्रिय राजस्थान बिक्री कर के सिवाय समस्त प्रासंगिक प्रभार सम्मिलित होने चाहिए, जिन्हें अलग से दर्शित किया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदान के मामलों में दरों में समस्त कर आदि सम्मिलित होने चाहिए और विश्वविद्यालय द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन प्रभार सदत नहीं किया जाएगा और माल का परिदान क्रय अधिकारी के परिसर पर किया जाएगा।
8. i.दरों की तुलना राजस्थान के बाहर की फर्मों द्वारा तथा राजस्थान की उन फर्मो द्वारा नियमों के अधीन मूल्य अधिमानता की हकदार नहीं है, निविदत दरों की तुलना में राजस्थान बिक्री कर को घटक अपवर्जित कर दिया जाएगा और केन्द्रिय बिक्री कर का घटक सम्मिलित कर दिया जाएगा।
   ii. राजस्थान के भीतर की फर्मो के संबंध में तुलना करते समय राजस्थान बिक्री कर का घटक सम्मिलित किया जाएगा।

9. **मूल अधिमान–** मूल्य अधिमानता/अधिमानता राजस्थान के उद्योग द्वारा उत्पादितया विनिर्मित माल पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों की तुलना में भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमानता) नियम, 1995 के अनुसार दी जाएगी।
10. **विधिमान्यता –** निविदाएं खोले जाने की तारीख से 90 दिवस की कालावधि हेतु विधि मान्य होगी।
11. यह मान लिया जाएगा कि अनुमोदित प्रदायक ने प्रदाय किए जाने वाले माल के संबंध में समस्त शर्तो विनिर्देशों, आकार, मेक और ड्राईंग्स आदि का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर लिया है। यदि उसे इन शर्तो के किसी भाग या विनिर्देश ड्राईंग आदि के अर्थ के संबंध में कोई संदेह है तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे क्रय अधिकारी को भेजेगा और स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
12. ठेकेदार किसी अन्य अभिकरण को अपना ठेका या उसका कोई महत्वपूर्ण भाग समनुदेशिक नहीं करेगा या उप पटे पर नहीं देगा।
13. विनिर्देशः –
    i. प्रदाय की गयी समस्त वस्तुएं निविदा प्रारूप मे अभिकथित, विनिर्देश टेडमार्ग के अनुरूप होगी तथा कहीं वस्तुएं आई.एस.आई. विनिर्देशों के अनुरूप होना अपेक्षित हो, वे वस्तुएं उन्हीं विनिर्देशों के अनुरूप होगी। उन पर ऐसा मार्क होना ही चाहिए।
    ii. तारांकित क्रमांक .... की वस्तुओं का प्रदाय इसके अतिरिक्त पूर्णतः अनुमोदित नमूनों के अनुरूप होगी तथा अन्य सामग्री के मामलें में जिनका कोई मानक या अनुमोदित नमूना नहीं है, प्रदाय सर्वोतम क्वालिटी और विवरण का होगा। इस संबंध में कि प्रदायित वस्तुएं विनिर्देशों के अनुरूप हैं तथा नमूनों के यदि कोई हो, के अनुसार हैं, क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा और निविदादाता पर आबद्ध कर होगा।
    iii. वारंटी/गारंटी– निविदादाता इस संबंध में गारंटी देगा कि क्रय किए जाने वाले माल/भण्डार/वस्तुओं के परिदान की तारीख से ....दिन/माल की कालावधि हेतु माल/भण्डार/वस्तुएं निविर्दिष्ट किए गए के अनुसार विवरण और क्वालिटी के अनुरूप बनी रहेगी और इस तथ्य के होते हुए भी कि क्रेता ने, उक्त माल/भण्डार/वस्तुओं का निरीक्षण/तथा अनुमोदन कर लिया है यदि उपर्युक्त............ दिन/मास की कालावधि और क्वालिटी के अनुरूप नहीं हैं या ऐसी अवधारित की गयी है। (और उस संबंध मे क्रय अधिकारी का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा) तो क्रेता उक्त माल/भण्डार/वस्तुओं को या उसके ऐसे किसी भाग को जिसे उक्त विवरण और क्वालिटी के अनुरूप न पाया गया है। अस्वीकृत करने का हकदार होगा। ऐसी स्वीकृति पर माल विक्रेता की जोखिम पर होगा और माल की अस्वीकृति आदि से संबंधित समस्त उपलब्ध लागू होगें। निविदादाता, यदि उसे करने का कहा जाए तो माल आदि को या उसके ऐसे किसी भी भाग को जिसे क्रय अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है, प्रतिस्थापित करेगा अन्यथा निविदादाता ऐसे नुकसान का भुगतान करेगा जो इसमें समाविष्ट शर्त के भंग के कारण उत्पन्न हो। इस संविदा के अधीन या अन्यथा रूप में क्रय अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर इसमें समाविष्ट कोई बात प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।
    iv. मशीनरी तथा उपकरणों के मामलें में भी उपर्युक्त खण्ड (3) में वर्णित गारंटी दी जाऐगी और निविदादाता, गारंटी कालावधि के दौरान कल कुर्जो, यदि कोई हो, को बदलेगा तथा किसी विनिर्माण दोष को दूर करेगा यदि उपर्युक्त कालावधि के दौरान उसका पता लगे जिससे कि वे दोषपूर्ण पाए जाए और उन्हें विनिर्माण दोष आदि के कारण संचालित नहीं रखा जा सकता। निर्धारित अपवधि मे प्रदाय का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। निर्माता के विलम्ब के लिए प्रदायक ही उत्तरदायी होगा।
    v. क्रय अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की गयी मशीनरी तथा उपकरण के मामलें में, निविदादाता उन निबन्ध और शर्तों पर जिन पर सहमति हो गयी हो, वार्षिक अनुरक्षण और मरम्मत हेतु उत्तरदायी होगा। निविदादाता मशीनरी और उपकरणों के विनिर्दिष्ट प्रकार हेतु अपेक्षित अतिरिक्त पुर्जो के पर्याप्त प्रदाय हेतु भी दायी होगा चाहे वे वार्षिक अनुरक्षण हेतु उनसे अतिरिक्त पुर्जे खरीदना चाहे।
14. निरीक्षणः–
    i. क्रय अधिकारी या उसका सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि समस्त उपयुक्त समयों पर प्रदाय के परिसर में पहुंच सकेगा और उसे समस्त उपयुक्त समयों पर, विनिर्माण प्रकिया के दौरान या उसके पश्चात् जैसा निर्णीत किया जाए माल/उपस्कर/मशीनरी की सामग्री और कर्म कौशल का निरीक्षण तथा परीक्षण करने की शक्ति होगी।
    ii. निविदाता अपने कार्यालय, गोदाम और वर्कशॉप के परिसर का पूरा पता प्रस्तुत करेगा जहां निरीक्षण किया जाता है और संबंधित व्यक्ति का नाम और पता भी प्रस्तुत करेगा जिससे इस प्रयोजनार्थ सम्पर्क किया जाता है। उन डिलरों के मामलें में जो कारोबार में नवीन रूप से प्रविष्ठ हुए हैं उनके बैंकर से परिचय पत्र आवश्यक होगा।
15. **नमूनेः– निर्धरित प्रपत्र मे अंकित वस्तुओं हेतु निविदाओं के साथ निविदत वस्तुओं के दो पैकट मे नमूनें होंगे।एक पैकेट मे विभिन्न खेलो की खेल गणवेष (टी–शर्ट, नेकर एवं सॉक्स सहित) एवं दूसरे पैकेट मे ट्रेकसूट के नमूने होगे ।**
16. प्रत्येक नमूनों को उपर्युक्त रूप से अंकित किया जाएगा चाहे नमूनों पर लिखकर या पर्चो पर लिखकर टिकाउ कागज पर लिखकर नमूनें पर सुरक्षित रूप से चिपकाया जाएगा। उसमें निविदादाता का नाम और मद का क्रमांक जिसका वह अनुसूची में नमूना है, अंकित होंगे।

17. अनुमोदित नमूने संविदा की समाप्ति के पश्चात् छः मास की कालावधि तक निःशुल्क रखे जायेंगे। विश्वविद्यालय इन नमूनो के रखे जाने की कालावधि के दौरान किसी नुकसान टूट–फूट या जो निरीक्षण के दौरान हुयी किसी हानि हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। कालावधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नमूने वापिस ले लिए जाएंगे। विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार से नमूनों को लौटाने हेतु प्रबन्ध नहीं किया जायेगा। संविदा की समाप्ति के 9 माह भीतर वापस न लिए गए नमूनों का समाहरण विश्वविद्यालय द्वारा कर लिया जाएगा और उनके मूल्य आदि हेतु कोई भी दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।
18. अनुमोदित न किए गए नमूने विफल निविदादाता द्वारा वापस ले लिए जाएंगे। विश्वविद्यालय इन नमूनों के प्रतिधारण काल के दौरान किसी जांच परीक्षण किए जाने के संबंध में होने वाले किसी नुकसान टूट–फूट या हानि हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। वापस न लिए गए नमूनों का समपहरण हो जाएगा तथा उनके मूल्य आदि के संबंध में कोई दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।
19. यह प्रदाय प्राप्त हो तो वे यह सुनिश्चित किए जाने हेतु निरीक्षण के अध्यधीन होंगे कि वे विनिर्देशों के या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है। जब आवश्यक हो या विहित हो या व्यवहार्थ हो तो परीक्षण इसी प्रकार के संस्थानों में प्रतिष्टित परीक्षण गृहों से परीक्षण के फलस्वरूप विहित विनिर्देशों के मानक के अनुरूप हो।
20. नमूने लिए जाना– परीक्षण के मामलें में नमूने निविदादाता की या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में लिए जाएंगे और उन्हें उनकी की उपस्थिति में समुचित रूप से सील किया जाएगा। ऐसा एक सेट उन्हें दिया जाएगा। एक या दो प्रयोगशाला को तथा अथवा परीक्षण गृह को भेजे जाएंगे तथा तीसरा चौथा अधिकारी द्वारा संदर्भ और अभिलेख हेतु रख लिया जाएगा।
21. परीक्षण व्यय– परीक्षण व्यय का वहन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा यदि निविदादाता द्वारा अविलम्ब परीक्षण की व्यवस्था किए जाने हेतु इच्छा व्यक्त की जाती है या परीक्षण परिणाम यह दर्शित करे कि नमूने विहित मानकों या विनिर्देशों अनुरूप नहीं है तो परीक्षण व्यय निविदादाता द्वारा संदेय होगा।
22. अस्वीकृत किया जाना:–
    i. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान अनुमोदित न की गई वस्तुअें को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और उन्हें क्रय अधिकारी द्वारा नियत किए गए समय के भीतर निविदादाताओं अपने स्वयं के व्यय पर बदलेगा।
    ii. तथापि, यदि कार्य की अपेक्षाओं के कारण ऐसा प्रतिस्थापन पूर्णतः या अशर्त साध्य न समझा जाए तो क्रय अधिकारी निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात् कारणों की अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों से उपयुक्त रकम की कटौती कर लेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अंतिम होगी।
23. अस्वीकृत की सूचना के 15 दिनों के भीतर, अस्वीकृत वस्तुएं निविदादाता द्वारा हटा दी जाएगी उसके पश्चात् क्रय अधिकारी किसी नुकसान, कमी या हानि हेतु उतरदायी नहीं होगा और अधिकार होगा कि वह निविदादाता की जोखिम पर और उक्त कारण से ऐसी वस्तुओं का निपटारा उस नीति से करावें जिसे वह उपयुक्त समझे।
24. निविदादाता इस बात हेतु उतरदायी होगा कि वह समुचित पैंकिंग करे जिससे कि रेल या सड़क द्वारा परिवहन की सामान्य परिस्थितियों में होने वाले नुकसान को टाला जा सके और गतव्य पर प्रेषित को अच्छी दशा में सामग्री की सुपुर्दगी हो सके। किसी हानि नुकसान टूट–फूट या लीकेज या किसी भी कमी की स्थिति में निविदादाता प्रेषित द्वारा सामग्री के किए गए परीक्षण निरीक्षण में पाई गई किसी ऐसी हानि और कमी की पूर्ति करने हेतु दायी होगा। इस कारण कोई अतिरिक्त व्यय अनुज्ञेय नहीं होगा।
25. प्रदाय के ठेके को क्रय अधिकारी द्वारा किसी भी समय निराकरण निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने तथा निराकरण हेतु कारण अभिलिखित करने के पश्चात् किया जा सकेगा अतिरिक्त व्यय अनुज्ञेय नहीं होगा।
26. निविदादाता की या उसके प्रतिनिधि को ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पक्ष प्रचार निरर्हता होगा।
27. निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जायेगी उसकी दरें एक वर्ष के लिये मान्य होगी उक्तानुसार स्वीकृत दरों पर वर्ष भर विश्वविद्यालय के आदेशानुसार सामग्री की सप्लाई करनी होगी।
    i. मात्रा की सीमा पुनरादेश यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के आदेश दे दिए गए है तो भी निविदादाता अपेक्षित प्रदाय की पूर्ति हेतु आबद्ध होगा। निविदा मे दी गयी दरों और इस पर पुनरादेश भी दिया जा सकेगा यदि पुनरादेश भी दिया जा सकेगा यदि पुनरादेश मूलतः क्रय मात्रा का 50 प्रतिशत तक है। कालावधि पिछले प्रदाय की समाप्ति से एक मास से अधिक नहीं है। यदि निविदादाता ऐसी क्रय में विफल रहता है तो क्रय अधिकारी को यह छूट होगी कि वह अतिशेष प्रदाय की व्यवस्था कर निविदा से या अन्यथा रूप से करे और उपगत अतिरिक्त मूल्य निविदादाता से वसूली योग्य होगा।
    ii. यदि क्रय अधिकारी निविदत वस्तुओं में से किसी वस्तुत का क्रय नहीं करता या निविदा वर्णित मात्रा से कम का क्रय करता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिये अधिकृत नहीं होगा।
28. बयाना राशि–
    i. निविदा के साथ रूपये **12000/–** की बयाना राशि संलग्न होगी जिसके बिना निविदा विचार नही किया जाएगा। यह राशि **वित नियंत्रक, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर** के पक्ष में **ड्राफ्ट** द्वारा जमा कराई जानी होगी।
    ii. असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा की अंतिम स्वीकृति पश्चात् वापस कर दी जाएगी।
    iii. बयाना राशि से छूटः– उन फर्मो को जो निदेशक, उद्योग, विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत है उन मदों के संबंध में जिनके लिए वे उक्त रूप से रजिस्टर्ड की गई है, उनके द्वारा मूल पंजीयन

प्रमाण–पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर निविदायें आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए नए निविदा के अनुमानित मूल्य के 1/2 प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी।

iv. केन्द्रीय सरकार के तथा राजस्थान सरकार के उपक्रमों को बनाया राशि की रकम जमा कराने की आवश्यकता नहीं हैं।

v. किन्हीं अन्य निविदाओं के संबंध में विभाग कार्यालय में पडी हुई बयाना राशि प्रतिभूति निपेक्ष जिनका अनुमोदन या अस्वीकृत प्रतिक्षित है या जो पूरे होने वाले संविदाओं के संबंध में पडी हुई है।नवीन निविदाओं हेतु बयाना राशि पर विचार किया जा सकेगा।

29. बयाना राशि का समपहरण– बयाना राशि का निम्नलिखित स्थितियों में समपहरण किया ला सकेगा –

i. जब निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात किन्तु निविदा की स्वीकृति के पूर्व निविदा वापस ले लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित कर देता है।

ii. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो, निष्पादित नही करता हो

iii. जब प्रदाय आदेश दिये जाने के पश्चात निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो।

iv. जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारंभ करने में विफल रहता है।

30. (अ) करार तथा प्रतिभूति निक्षेपः–

i. सफल निविदादाता को आदेश को प्राप्त होने से **10 दिन** की अवधि के भीतर **प्रारूप 17** में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों के लिए निविदाएं स्वीकार की गई है उनके मूल्य के **5 प्रतिशत** के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।

ii. निविदा के समय जमा कराई गयी बयाना राशि को प्रतिभूति रकम के प्रति समायोजित कर लिया जाएगा। प्रतिभूति रकम किसी भी दशा में बयाना राशि से कम नहीं होगी।

iii. विभाग द्वारा प्रतिभूति की रकम पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

iv. प्रतिभूति राशि नकद/बैंक ड्राफ्ट/ द्वारा विश्वविद्यालय मे जमा कराई जावेगी। प्रतिभूति जमा की राशि संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के तथा निविदादाताओं के विरूद्ध कोई देय बकाया में नहीं होने पर लौटाई जायेगी।

(ब)

i. निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मों को उन सामानों के संबंध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा निर्देशक उद्योग से पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर प्रतिभूति राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेगी।

ii. केन्द्रीय सरकार के तथा राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति की रकम प्रस्तुत किए जाने से मुक्त होंगे।

iii. प्रतिभूति निक्षेप को समपहरण–प्रतिभूति की रकम या निम्नलिखित प्रकरणो में पूर्णतः समपहरण किया जा सकेगा–

(क) जब संविदा के किसी निबंधन और शर्तो को भंग किया जाता है।

(ख) जब निविदादाता संतोषप्रद रूप से पूर्ण प्रदाय करने में विफल रहता है।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के माले मे उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा इस संबंध में क्रय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

iv. करार के पूर्ण किए जाने तथा स्टाम्पिंग किये जाने का व्यय निविदादाता द्वारा संदत किया जाएगा और विभाग को करार का सम्यक रूप से निष्पादित स्टाम्पित प्रतिलिपि निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा।

30- i. विवादग्रस्त मद के मामले में 10 से 25 प्रतिशत तक रकम रोक ली जाएगी और विवाद का निपटारा होने पर कर दिया जायेगा।

ii. उस माल के प्रकरण मं संदाय जिसके परीक्षण की आवश्यकता है उसी समय किए जाएगा परीक्षण के लिए प्राप्त परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देया के अनुरूप पाए जाएं।

31. शर्तें :–

i. निविदा प्रारूप में परिदान हेतु विनिर्दिष्ट समय को संविदा का मूल तत्व समझा जाएगा निविदादाता क्रय अधिकारी से क्रय आदेश की प्राप्ति कर कालावधि के भीतर सप्लाई करेगा।

ii. निर्धारित नुकसान–निर्धारित नुकसान सहित परिदानर कालावधि की वृद्धि के मामले में जिसका प्रदान करने से निविदादाता विफल रहा है, के मूल्य की निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी।

iii. (क) विहित परिदान कालावधि की एक चौथाई कालावधि तक का विलम्ब 25 प्रतिशत।

(ख) विहित कालावधि के एक चौथाइ से अधिक किन्तु आधे से अनाधिक कालावधि तक का विलम्ब 5 प्रतिशत।

(ग) विहित कालावधि के आधे से अधिक किन्तु तीन चौथाई से अनाधिक कालावधि का विलम्ब 7.5 प्रतिशत।

(घ) विहित कालावधि के तीन चौथाई से अधिक की कालावधि का विलम्ब 10 प्रतिशत।

iv. प्रदाय मे विलम्ब की गणना करते समय दिन के भाग की अवहेलना कर दी जाएगी यदि वह आधे दिन से कम हो।
v. निर्धारित नुकसान की अधिकतम की रकम 10 प्रतिशत होगी।
vi. यदि किसी बाधा के कारण संविदात्मक प्रदान पूर्ति में प्रदायक समय की वृद्धि चाहता है तो वह उक्त प्राधिकारी को बाधा के घटित होते ही उसके लिए लिखित मे तुरन्त आवेदन करेगा जिसने प्रदाय आदेश दिया है कि किन्तु प्रदाय की पूर्ति की नियत तारीख के पश्चात नहीं।
vii. यदि माल के प्रदाय में विलम्ब की निविदा दाता के नियंत्रकण में परे बाधाओं के कारण हो तो परिदान कालावधि को निर्धारित नुकसान सहित या उसके बिना बढ़ाया जा सकेगा।

32. वसुलिया निर्धारित नुकसान न्यून प्रदाय, टूट–फूट अस्वीकृत वस्तुओं के संबंध में वसूलियां रोकी जा सकेगी और यदि प्रदायक संतोषजनक रूप से वस्तुओं को बदलने में विफल रहता है निक्षेप की जाएगी। यदि वसूलियां संभव न हो राजस्थान लोक पीडीआर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
33. क्रय अधिकारी किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो स्वीकृत करने किसी भी निविदा के बिना कारण बतलाए अस्वीकृत करने और किसी भी निविदा को रद्द करने या किसी या अधिक वस्तुओं जिसके लिए निविदा दी गयी है या भण्डार के मदों को एक फर्म/प्रदायक के अधक वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं।
34. निविदादाता करार के निष्पादन के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।
    i. भागीदारी फर्मो के मामले में भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रतिलिपि।
    ii. यदि फर्म फर्मो के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत हो तो रजिस्ट्रीकरण क्रमांक और रजिस्ट्रीकरण का वर्ष।
    iii. एक मात्र स्वत्याधारित की दिशा में निवास तथा कार्यालय का पता टेलीफोन संख्याक।
    iv. कम्पनी की दशा में कम्पनी रजिस्ट्रार प्राप्त जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण।
35. संविदा के विपणन अर्थ तथा भंग के संबंध में संविदा से कोई विवाद उत्पन्न हो तो प्रबन्ध प्रकरण द्वारा विभागाध्यक्ष का विदिप्त किया जाएगा जो अपने ऐसे वरिष्ठ अधीनस्थ की एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगा जो इस संविदा से संबंध नहीं होगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।
36. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (विश्वविद्यालय या ठेकेदार) द्वारा बीकानेर में ही स्थित न्यायालय में संस्थित की जाएगी अन्यत्र नहीं।
37. आई.एस.ओ. प्रमाण–पत्र पत्रधारी निर्माताओं की सामग्री को प्राथमिकता दी जावेगी।
38. कोई भी सामग्री कय समिति द्वारा नमूना भौतिक रूप से अवलोकन कर अनुमोदन के उपरान्त ही मंगाई जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मै/हम/घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने जिन मालों/स्टोर्स/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/सोल सैलिंग/विपणन एजेण्ट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर